कार्यालय प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम
जिला–दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
Email-Principal.iti.geedam@gmail.com

क्रमांक/औप्रसं/स्था./मे0प्र0भर्ती/2026/ 1112 /गीदम दिनांक :- 02.11.2026

// विज्ञापन //

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.-4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशो तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक- 931 दिनांक 06.08.2026 के अनुपालन में जिला दन्तेवाड़ा में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था **गीदम** में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला- दन्तेवाड़ा छ0ग0 - 494441** में आवेदन जमा/प्रेषित कर सकते है। **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.11.2026 को अपरान्ह 5:00 बजे** तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1. **पदों की जानकारी :-**

क्र0	व्यवसाय/विषय का नाम	औप्रसं गीदम	कुल
1	2	3	4
01	स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)	01	01
कुल योग			**01**

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र0	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)	शासकीय औप्रसं **गीदम**	01	1.किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण । 2.किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /संस्था / शीघ्रलेखन (शार्ट-हेण्ड) मुद्रलेखन परिषद से 100/80 शब्द प्रतिमिनट की गति । (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा।) 3.किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा-एन्ट्री-ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा-एन्ट्री की 10,000 KEY डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा)। 4.अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई / सीटीआई / एन.व्ही.टी.आई / आर.व्ही.टी. आई / आई. टॉट से उत्तीर्ण हो चयन में प्राथमिकता दिया जावेंगा।

3. अंको का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता(आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री)परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए **मेरिट सूची** तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/उपाधी/पत्रोपाधी आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति मे जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार कि जाएगी।

(घ) प्राप्त आवेदनों का प्रावीण्य सूची तैयार कर सयुंक्त संचालक (प्रशि) क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर छ.ग.से अनुमोदन पश्चात **कौशल परीक्षा एवं गति परीक्षा** हेतु 1:10 में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। उक्त कौशल परीक्षा एवं गति परीक्षा में उत्तीर्ण एवं प्रावीण्य स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम
जिला-दंतेवाड़ा (छ.ग.)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

नियम एवं शर्तें

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
4. प्रचतिल सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एकवर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेंगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
5. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
6. शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
9. पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
10. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये **प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रूपये)** की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। **प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रूपये (पन्द्रह हजार रूपये)** मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
11. मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।
12. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगें। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर /समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में **दिनांक 18.11.2026 को सायं 5:00 बजे तक** अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला-दन्तेवाड़ा छ0ग0 - 494441** में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
16. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2026 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में उम्मीद्वारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
18. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीद्वार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
19. चयन सूची संस्था के सूचना पटल, संस्था के वेब साइट पोर्टल एवं जिले के एनआईसी पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीयशिक्षुता प्रमाण-पत्र/उपाधि/पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण-पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

- **उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर केस डब्ल्यू0पी0एस0 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।**

प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम
जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित संस्था का नाम :- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)

आवेदित पद एवं व्यवसाय / विषय का नाम :- मेहमान प्रवक्ता / स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटिरेयल असिस्टेंट (हिन्दी)

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम,
जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

स्वप्रमाणित फोटो

विषय :- मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :-

-000-

1. आवेदक का नाम
2. पिता/ पति का नाम
3. माता का नाम
4. जाति वर्ग
5. जन्मतिथि (अंको में)
 (शब्दों में)
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

7. दूरभाष / मोबाईलनंबर
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता

9. सी.टी.आई./ ए.टी.आई./
 एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट उत्तीर्ण : (हॉ/नहीं)

क्रमश...02

10. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ आई.टी.आई	विषय/व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक/पुर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

टीप :- 1) प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावें।
2) योग्यता से संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं द्वारा सत्यापित सलंग्न करें।

11. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

//शपथ-पत्र//

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ0ग0 रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते है, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा/जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान

दिनांक

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

.....

.....

मोबाईल नम्बर